

**GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
LAND & BUILDING DEPARTMENT, VIKAS BHAWAN, NEW DELHI**

No.F.7(33)/12/L&B/LA/MRTS/ 15137

Dated. 23)12)2013

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894, the Lt. Governor, Delhi is pleased to direct the Land Acquisition Collector (South), Delhi to take possession of land the specification of which is given in this notification u/s 4


No.F.7(33)/12/L&B/LA/MRTS/14870 dated 19/12/2013 and u/s 6

No.F.7(33)/12/L&B/LA/MRTS/ 15136 dated 23)12)13 on expiration of 15 days from publication of the notice under sub-section (1) of section 9 of the said Act.

**BY ORDER AND IN THE NAME OF THE LT. GOVERNOR OF DELHI.**



(USHA CHATURVEDI)  
DY.SECRETARY (LA)



# राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार भूमि एव भवन विभाग विकास भवन, नई दिल्ली

सं.एफ.7(33) / 12 / मू.व.भ. / भू.अ. / एमआरटीएस / 15137 दिनांक 23/12/2013

अधिसूचना

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिल्ली के उपराज्यपाल भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (उत्तर) दिल्ली को सहर्ष निर्देश देते हैं कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की समाप्ति पर ऐसी भूमि पर कब्जा कर लें जिसका विशिष्ट विवरण आधिसूचना संख्या एफ.7(33) / 12 / भू.व.भ. / भू.अ. / एमआरटीएस / 14870 दिनांक 19.12.2013 धारा 4 एवं स एफ.7(33) / 12 / भू.व.म. / भू.अ. / एमआरटीएस / 15.13.6..... दिनांक 23.1.2013 धारा 6 में दिया हुआ है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा नाम पर

नाम पर  
३ अं - चतुर्वेदी

ऊषा चतुर्वेदी  
उप-सचिव (मू.आ.)

John